न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/17/2025	2025/151	09.04.2025	01.05.2025

1. हेमेन्द्र कुमार पुत्र श्रीपदम चन्द जाति महाजन निवासी नौगावां तहसील रामगढ जिला अलवर राज0। ——अपीलाण्ट

बनाम

——रेस्पोडेण्ट

1. तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 335 आदेश दिनांक 20.11.2024 तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01—श्री अनिल कुमार गुप्ता —वकील अपी0

02—श्री दीपक मीना, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

:: निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट से यह अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ द्वारा निर्णय दिनांक 20.11.2024 नामान्तकरण संख्या 335 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 140 रक्बा 0.19 हैक्टर आराजी खसरा नम्बर 139 रक्बा 0.19 आराजी खसरा नम्बर 96 रक्बा 0.09 वाके ग्राम यादव नगर तहसील रामगढ अलवर में स्थित है। जिस आराजी का खातेदार सुबेखा पुत्र दरयाई जाति मेव निवासी दोहली था और जिससे अपीलाट के द्वारा उक्त तीनों खसरा नम्बर रकबा सालिम को दिनांक 20.11.2024 को खरीद कर मौके पर कब्जा ले लिया था और तब से आज मौके पर काबिज काश्त है। बयनामे होने के आधार पर अपीलांट के हक मे इंतकाल तस्दीक होना था। लेकिन उक्त तीनो खसरा नम्बर 140, 139, 96 की जगह केवल आराजी खसरा नम्बर 140 का ही इंतकाल सं० 335 वाके ग्राम यादव नगर स्वमोटो अपीलांट के हक मे स्वीकृत किया गया और दो नम्बर 139 व 96 का इतकाल दर्ज होने से रह गया। जिस इंतकाल सं० 335 के खिलाफ अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। तहत अदालत का आदेश विधी एव तथ्यो के खिलाफ पारित किया गया हे जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलांट के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 140 रक्बा 0.19 हैक्टर आराजी खसरा नम्बर 139 रक्बा 0.19, आराजी खसरा नम्बर 96 रक्या 0.09 वाके ग्राम यादव नगर तहसील रामगढ अलवर में स्थित है। जिस आराजी का खातेदार सुबेखा पुत्र दरयाई जाति मेव निवासी दोहली था और जिससे अपीलाट के द्वारा उक्त तीनो खसरा नम्बर 140, 139, 96 रकबा सालिम को दिनांक 20.11.2024 को खरीद कर मौके पर कब्जा ले लिया था। और तब से आज मौके पर काबिज काश्त है बयनामे होने के आधार पर अपने आप अपीलांट के हक इंतकाल तस्दीक होना था। लेकिन उक्त तीनो खसरा नम्बर 140, 139, 96 की जगह केवल आराजी खसरा नम्बर 140 का ही इंतकाल सं० 335 वाके ग्राम यादव नगर स्वमोटो अपीलांट के हक में स्वीकृत किया गया और दो नम्बर 139 व 96 का इतकाल दर्ज होने से रह गया। इतकाल सं. 335 में सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमांबदी के कालम में खाता सं० 156 कुल खसरा सं० कुल रक्बा 0.47 दर्ज किया गया है लेकिन खसरा नम्बर 139, 96 और उसका क्षेत्रफल नही लिखे जाने के कारण उक्त खसरा नम्बर का इंतकाल अपीलांट के नाम दर्ज होने से रह गया और उक्त खरीदशुदा आराजी रक्बा 139, 96 आज भी विक्रेता के नाम है जो कि गलत है। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाकर तीनो नम्बर अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलांट को दिनांक 02.04.2025 को हुई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जब अपीलांट के द्वारा उक्त खरीदशुदा आराजी की जमाबंदी प्राप्त की तो पाया कि उक्त खरीदशुदा अराजी में केवल 140 ही अपीलांट के नाम दर्ज किया गया और 139 एव 96 खसरा नम्बर उसके नाम दर्ज होना होने से गया। जिस पर अपीलांट के द्वारा यह अपील बिना किसी देरी श्रीमान के समक्ष पेश की जा रहीं है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार किया जाकर तहत इंतकाल सं. 335 वाके ग्राम यादव नगर जो अपीलांट कि नाम 140 खसरा स्वमोटो स्वीकृत किया गया है, को निरस्त किया जाकर तीनो खसरा नम्बर 140, 139, 96 वाके ग्राम यादव नगर का इंतकाल अपीलांट के नाम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को स्वीकारते हुए कथन किया है बयनामे के आधार पर अपीलांट के हक में इंतकाल तस्दीक होना था, लेकिन उक्त तीनों खसरा नम्बर 140, 139, 96 की जगह केवल आराजी खसरा नम्बर 140 का ही इंतकाल सं० 335 वाके ग्राम यादव नगर स्वमोटो अपीलांट के हक में स्वीकृत किया गया और दो नम्बर 139 व 96 का इतकाल दर्ज होने से रह गया। इसलिए न्यायहित में उक्त तीनो खसरा नम्बर 140, 139, 96 वाके ग्राम यादव नगर का इंतकाल अपीलांट के नाम किये जाना उचित होगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट हेमेन्द्र कुमार पुत्र श्रीपदम चन्द जाति महाजन निवासी नौगावां तहसील रामगढ़ द्वारा खातेदार सुबेखा पुत्र दरयाई जाति मेव निवासी दोहली से खसरा नंबर 140 रकबा 0.19 है0, ख.नं0 139 रकबा 0.19 है0, ख. नं0 96 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 वाके ग्राम यादव नगर तहसील रामगढ़ जिला अलवर की संपूर्ण भूमि दिनांक 20.11.2024 को जरिये पंजीबद्ध रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद की गयी। बयनामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार सुबेखा पुत्र दरयाई जाति मेव द्वारा अपीलाण्ट हेमेन्द्र पुत्र श्रीपदम जाति महाजन को खसरा नंबर 140, 139, 96 का संपूर्ण हिस्से का बेचान किया गया एवं कब्जा संभलवाया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 139 एवं 96 सुबेखा पुत्र दरयाई जाति मेव साकिन देह दोहली की खातेदारी में दर्ज है। चूंकि इंतकाल संख्या 335 सुओमोटो दर्ज व तस्दीक किया हुआ है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात एवं तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मुताबिक बयनामा अपीलाण्ट के हक में इन्तकाल स्वीकृत नहीं किया गया है जो कि एक विधिक त्रुटि है। अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण आदेश दिनांक 20.11.2024 निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 20.11.2024 नामा0 सं. 335 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20.11.2024 के अनुसार अपीलाण्ट हेमेन्द्र कुमार पुत्र श्रीपदम चन्द जाति महाजन निवासी नौगावां तहसील रामगढ़ जिला अलवर के हक में नियमानुसार इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05..2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)